



# कार्यालय जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर

रेलवे अस्पताल के सामने, रातानाडा, जोधपुर-342001  
email- jdajodhpur@yahoo.com वेब-साईट jodhpurjda.org Phone No. 0291-2612086/265635-7 Fax 0291-2612086

क्रमांक: F37(3)/नि.आ./बीपीसी(एल.पी.)/का.वि./2022/ 5101

दिनांक:- 20/12/2022

-:कार्यवाही विवरण:-

विषय:- भवन मानचित्र समिति जोन-2 (ल-आउट प्लान) की 01/2022 की बैठक दिनांक 20.12.2022 को आयुक्त महोदय, जोधपुर, जोधपुर की अध्यक्षता में उनके कक्ष में आयोजित हुई, इसमें प्रस्तुत एजेण्डा पर विचार विमर्श किया जाकर निम्नवत निर्णय लिये गये। उपरिधत सदस्यों का विवरण परिशिष्ट-“1” पर है।

एजेण्डा संख्या 01 :-

बैठक दिनांक	जोन	राजस्व ग्राम	खसरा संख्या	रकबा	प्रयोजन
20.12.2022	जोन-2	कांकाणी	361/17, 361/18	5099 वर्गमीटर	वाणिज्यिक एकल भूखण्ड
आवेदक	श्री अशोक राठी पुत्र स्वं श्री पुखराज राठी, श्री देवेश राठी पुत्र श्री हरीदास राठी				
विषय:-	राजस्व ग्राम कांकाणी के खसरा संख्या 361/17, 361/18 रकबा 5099 वर्गमीटर में वाणिज्यिक एकल भूखण्ड प्रयोजनार्थ अनुमोदन बाबत।				
निर्णय:-	समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद विचार-विमर्श निम्नलिखित शर्तों के साथ ले-आउट प्लान अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया:- 1. आवेदित भूमि को उपलब्ध पहुंच मार्ग की चौड़ाई मास्टर डवलपमेंट प्लान अनुसार 60 मीटर आरक्षित रखी जावे तथा सड़क मार्गाधिकार हेतु सड़क मध्य से 30 मीटर भूमि प्रार्थी से निःशुल्क समर्पित करवाई जावे। सड़क मार्गाधिकार पश्चात् 30 मीटर वृक्षारोपण पट्टी आरक्षित रखी जावे। 2. आवेदित भूमि में मौके पर निर्माण के संबंध में राजस्थान (नगरीय क्षेत्र जोधपुर) भवन विनियम 2020 की तालिका 11 के बिन्दु संख्या 1 के क्रम में नियमानुसार शास्ती की गणना कर जोन उपायुक्त द्वारा शास्ती वसूल की जावे। 3. आवेदित भूमि व सड़क के मध्य दक्षिण पश्चिम दिशा में अन्य निजी खातेदारी की भूमि स्थित है, अतः प्रार्थी द्वारा विद्यमान सड़क से स्वयं की भूमि में से ही पहुंच मार्ग रखा जावे। 4. राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 30.05.2016 व 22.11.2016 अनुसार 2 है 0 से कम क्षेत्रफल पर नियमानुसार राशि ली जावे। 5. उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व प्रशासनिक, वाद अवाप्ति, एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वयं की होगी। प्रार्थी से इस बाबत शपथ-पत्र लिया जावे कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नहीं है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लम्बित है। इस बाबत जोन स्तर पर शपथ-पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावे। 6. प्रस्तावित भूमि पर निर्माण कार्य करवाने से पूर्व प्रचलित भवन विनियम के अनुसार भवन मानचित्र अनुमोदित करवाने होंगे।				

एजेण्डा संख्या 2 :-

बैठक दिनांक	जोन	राजस्व ग्राम	खसरा संख्या	रकबा	प्रयोजन
20.12.2022	जोन-2	बासनी चौहाना	43/9	05.13.03 बीघा में से 00.18.15 बीघा	पेट्रोल पम्प एकल भूखण्ड
आवेदक	श्री रामदयाल पुत्र श्री तुलसीराम				

—ul

<b>विषय:-</b>	राजस्व ग्राम बासनी चौहाना के खसरा संख्या 43/9 रकबा 05.13.03 बीघा में से 00.18.15 बीघा में पेट्रोल पम्प एकल भूखण्ड प्रयोजनार्थ अनुमोदन बाबत।
<b>निर्णय:-</b>	<p>समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद विचार-विमर्श निम्नलिखित शर्तों के साथ ले-आउट प्लान अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया:-</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. आवेदित भूमि को उपलब्ध पहुंच मार्ग की चौड़ाई मास्टर डवलपमेन्ट प्लान-2031 अनुसार 100 फीट रखे जाने हेतु 50 फीट भूमि प्रार्थी से निःशुल्क समर्पित करवाई जावें।</li> <li>2. राजस्थान स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड/संबंधित विभाग द्वारा जारी गाइडलाइन की पूर्ण पालना की जावें।</li> <li>3. प्रार्थी से संबंधित एजेन्सी राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण/पी.डब्ल्यू.डी से अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) प्राप्त किया जावे जिसकी सुनिश्चितता पट्टा विलेख जारी करने से पूर्व जोन स्तर पर की जावें।</li> <li>4. राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 30.05.2016 व 22.11.2016 अनुसार 2 है० से कम क्षेत्रफल पर नियमानुसार राशि ली जावें।</li> <li>5. उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व प्रशासनिक, वाद अवाप्ति, एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वयं की होगी। प्रार्थी से इस बाबत शपथ-पत्र लिया जावें कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नहीं है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लम्बित है। इस बाबत जोन स्तर पर शपथ-पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावें।</li> <li>6. प्रार्थी द्वारा NGT के समस्त लागू प्रावधानों की पालना सुनिश्चित की जावे।</li> <li>7. प्रस्तावित भूमि पर निर्माण कार्य करवाने से पूर्व प्रचलित भवन विनियम के अनुसार भवन मानचित्र अनुमोदित करवाने होंगे।</li> </ol>

**एजेण्डा संख्या 03 :-**

बैठक दिनांक	जोन	राजस्व ग्राम	खसरा संख्या	रकबा	प्रयोजन
20.12.2022	जोन-2	भाकरासनी	99/9, 99/10, 101/3, 101/4, 101/5, 101/1, 292/99, 104, 99/6, 99/7	58.15.00 बीघा (95097.98 वर्गमीटर)	आवासीय योजना
<b>आवेदक</b>	मैसर्स आशापूर्णा बिल्डकॉन लि. जरिये मैनेजिंग डायरेक्टर श्री करणसिंह पुत्र श्री मोहनसिंह, श्रीमती सुप्रिया कंवर पत्नी श्री करणसिंह, श्री पीराराम पुत्र श्री सोमाजी, श्रीमती टीनासिंह पत्नी श्री युधवीर सिंह, श्री नारायणसिंह पुत्र श्री जयसिंह, श्रीमती पायल गुप्ता पत्नी श्री कपिल गुप्ता श्री दौलाराम पुत्र श्री रूपाराम				
<b>विषय:-</b>	राजस्व ग्राम बासनी निकूबा के खसरा संख्या 99/9, 99/10, 101/3, 101/4, 101/5, 101/1, 292/99, 104, 99/6, 99/7 रकबा 58.15.00 बीघा (95097.98 वर्गमीटर) में आवासीय योजना प्रयोजनार्थ अनुमोदन बाबत।				
<b>निर्णय:-</b>	<p>समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद विचार-विमर्श निम्नलिखित शर्तों के साथ ले-आउट प्लान अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया:-</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. प्राधिकरण द्वारा पूर्व में किए गए कमिटमेंट अनुसार एवं जोनल डवलपमेन्ट प्लान अनुसार आवेदित भूमि को उपलब्ध पहुंच मार्ग की चौड़ाई 80 फीट सुनिश्चितता की जावें। सड़क मार्गाधिकार हेतु आवश्यक भूमि प्रार्थी की भूमि में से जोविप्रा के पक्ष में निःशुल्क समर्पित करवायी जावें।</li> </ol>				





2.	आवेदित भूमि में से गुजर रही जोनल डवलपमेन्ट प्लान की 18 मीटर प्रस्तावित सड़क को दर्शाया जावें।
3.	आवेदित भूमि में से एच.टी.लाईन गुजर रही है। अतः नियमानुसार सेपटी कॉरीडोर एवं जोनल प्लान के प्रावधान अनुसार सेपटी कॉरीडोर के समानान्तर 12 – 12 मीटर की सड़क दर्शायी जावें।
4.	मुख्यमंत्री जन आवास योजना-2015 के प्रावधानानुसार 2 है0 से अधिक की योजना में नियमानुसार ई.डब्ल्यू.एस./एल.आई.जी. के आवासों का प्रावधान किया जावे।
5.	नगरीय विकास विभाग के परिपत्र दिनांक 29.09.2021 के प्रावधान 6(iii) के अनुसार न्यूनतम सुविधा क्षेत्र एवं पार्क/खुले क्षेत्र का प्रावधान किया जावें।
6.	नियमानुसार आन्तरिक विकास कार्यों की एवज में विक्रय योग्य क्षेत्रफल के 12.5 प्रतिशत क्षेत्रफल के बराबर भूखण्ड रहन में रखे जाने हैं जिनको आन्तरिक विकास कार्य पूर्ण होने की सुनिश्चितता के उपरान्त रहन मुक्त किया जावेगा।
7.	उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व प्रशासनिक, वाद अवाप्ति, एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वयं की होगी। प्रार्थी से इस बाबत शपथ-पत्र लिया जावें कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नहीं है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लम्बित है। इस बाबत जोन स्तर पर शपथ-पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावें।
8.	प्रस्तावित भूमि पर निर्माण कार्य करवाने से पूर्व जोविप्रा जोधपुर से भवन मानचित्र अनुमोदित करवाने होंगे।

**एजेण्डा संख्या 04 :-**

बैठक दिनांक	जोन	राजस्व ग्राम	खसरा संख्या	रकबा	प्रयोजन
20.12.2022	जोन-2	भाकरासनी	177, 178, 179, 179/2	60.15.10 बीघा	आवासीय योजना
आवेदक	मैसर्स आशापूर्णा बिल्डकॉन लि. जरिये मैनेजिंग डायरेक्टर श्री करणसिंह पुत्र श्री मोहनसिंह, श्री बीजाराम पुत्र श्री बालाराम मेघवाल, श्री चेनाराम पुत्र श्री धन्नाराम मेघवाल, श्री गणेशाराम पुत्र श्री सवाजी मेघवाल, श्री मदनलाल पुत्र श्री रामाराम मेघवाल श्रीमती रतन कंवर पत्नी श्री गोविन्दसिंह राजपूत				
विषय:-	राजस्व ग्राम भाकरासनी के खसरा संख्या 25 रकबा 60.15.10 बीघा में आवासीय योजना प्रयोजनार्थ अनुमोदन बाबत।				
निर्णय:-	समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद विचार-विमर्श निम्नलिखित शर्तों के साथ ले-आउट प्लान अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया:-				
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. प्राधिकरण द्वारा पूर्व में किए गए कमिटमेंट अनुसार एवं जोनल डवलपमेन्ट प्लान अनुसार आवेदित भूमि को उपलब्ध पहुंच मार्ग की चौड़ाई 80 फीट सुनिश्चितता की जावें। सड़क मार्गाधिकार हेतु आवश्यक भूमि प्रार्थी की भूमि में से जोविप्रा के पक्ष में निःशुल्क समर्पित करवायी जावें।</li> <li>2. आवेदित भूमि में से मास्टर डवलपमेन्ट प्लान-2031 की 30 मीटर प्रस्तावित सड़क को दर्शाया जावें।</li> <li>3. मुख्यमंत्री जन आवास योजना-2015 के प्रावधानानुसार 2 है0 से अधिक की योजना में नियमानुसार ई.डब्ल्यू.एस./एल.आई.जी. के आवासों का प्रावधान किया जावे।</li> <li>4. नगरीय विकास विभाग के परिपत्र दिनांक 29.09.2021 के प्रावधान 6(iii) के अनुसार न्यूनतम सुविधा क्षेत्र एवं पार्क/खुले क्षेत्र का प्रावधान किया जावें।</li> <li>5. नियमानुसार आन्तरिक विकास कार्यों की एवज में विक्रय योग्य क्षेत्रफल के 12.5 प्रतिशत क्षेत्रफल के बराबर भूखण्ड रहन में रखे जाने हैं जिनको आन्तरिक विकास कार्य पूर्ण होने की सुनिश्चितता के उपरान्त रहन मुक्त किया जावेगा।</li> <li>6. उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व प्रशासनिक, वाद अवाप्ति, एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वयं की होगी। प्रार्थी से इस बाबत शपथ-पत्र लिया जावें कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नहीं है और ना ही न्यायालय</li> </ol>				





	में कोई विवाद लम्बित है। इस बाबत जोन स्तर पर शपथ-पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावे।
	7. प्रस्तावित भूमि पर निर्माण कार्य करवाने से पूर्व जोविप्रा जोधपुर से भवन मानचित्र अनुमोदित करवाने होंगे।

**एजेण्डा संख्या 5 :-**

बैठक दिनांक	जोन	राजस्व ग्राम	खसरा संख्या	रकबा	प्रयोजन
20.12.2022	जोन-2	भाकरासनी	146/2	1.4560 है0	फार्म हाउस एकल भूखण्ड
आवेदक	श्रीमती पांचीदेवी पत्नी श्री कुम्भाराम, श्रीमती अबलादेवी पत्नी श्री कचरुराम				
विषय:-	राजस्व ग्राम भाकरासनी के खसरा संख्या 146/2 रकबा 1.4560 है0 में फार्म हाउस एकल भूखण्ड प्रयोजनार्थ अनुमोदन बाबत।				
निर्णय:-	<p>समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद विचार-विमर्श निम्नलिखित शर्तों के साथ ले-आउट प्लान अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया:-</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. आवेदित भूमि को उपलब्ध पहुँच मार्ग की चौड़ाई जोनल डवलपमेन्ट प्लान अनुसार 30 मीटर आरक्षित रखी जावे तथा सड़क मार्गाधिकार हेतु सड़क मध्य से 15 मीटर भूमि प्रार्थी से निःशुल्क समर्पित करवाई जावे।</li> <li>2. राज्य सरकार के आदेश दिनांक 13.03.2018 के अनुसार फार्म हाउस का एकल पट्टा जारी करते समय यह शर्त अंकित की जावे कि भविष्य में यदि सेक्टर रोड निकलती है व फार्म हाउस की भूमि प्रभावित होती है, तो यह प्रभावित भूमि संबंधित नगरीय निकाय को निःशुल्क उपलब्ध करानी होगी। भविष्य में यदि अन्य उपयोग के लिए रूपान्तरण किया जाता है तो उस उपयोग हेतु तय मानदण्ड लागू होंगे।</li> <li>3. उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व प्रशासनिक, वाद अवाप्ति, एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वयं की होगी। प्रार्थी से इस बाबत शपथ-पत्र लिया जावे कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नहीं है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लम्बित है। इस बाबत जोन स्तर पर शपथ-पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावे।</li> <li>4. प्रस्तावित भूमि पर निर्माण कार्य करवाने से पूर्व प्रचलित भवन विनियम के अनुसार भवन मानचित्र अनुमोदित करवाने होंगे।</li> </ol>				

**एजेण्डा संख्या 06 :-**

बैठक दिनांक	जोन	राजस्व ग्राम	खसरा संख्या	रकबा	प्रयोजन
20.12.2022	जोन-2	भाकरासनी	85/3, 97/9	08.00.00 बीघा	आवासीय योजना
आवेदक	श्री महावीर लुणिया पुत्र श्री जवरीलाल व श्रीमती करुणा जैन पत्नी श्री महावीर लुणिया				
विषय:-	राजस्व ग्राम भाकरासनी के खसरा संख्या 85/3, 97/9 रकबा 08.00.00 बीघा में आवासीय योजना प्रयोजनार्थ अनुमोदन बाबत।				
निर्णय:-	समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद विचार-विमर्श आवेदक से योजना मानचित्र में आवेदित भूमि को लगती हुई 60 फीट सड़क को निरन्तरता में आवेदित भूमि में से प्रस्तावित करते हुए तदानुसार संशोधित मानचित्र प्राप्त कर आगामी बैठक में रखे जाने का निर्णय लिया गया।				

**एजेण्डा संख्या 07 :-**

बैठक दिनांक	जोन	राजस्व ग्राम	खसरा संख्या	रकबा	प्रयोजन
20.12.2022	जोन-2	झालामण्ड	397, 397/1/1, 397/1/2	07.04.00 बीघा	आवासीय योजना





आवेदक	श्री जेठाराम पुत्र श्री सुरजाराम, श्रीमती नेनुडी पत्नी श्री पूराराम
विषय:-	राजस्व ग्राम झालामण्ड के खसरा संख्या 397, 397/1/1, 397/1/2 रकबा 07.04.00 बीघा में आवासीय योजना प्रयोजनार्थ अनुमोदन बाबत।
निर्णय:-	समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद विचार-विमर्श निम्नलिखित शर्तों के साथ ले-आउट प्लान अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया:- 1. प्राधिकरण द्वारा पूर्व में किए गए कमिटमेंट अनुसार आवेदित भूमि को उपलब्ध पहुंच मार्ग की चौड़ाई 60 फीट को योजना में निरन्तर किया जावे। 2. आवेदित भूमि के दक्षिण दिशा में प्राधिकरण द्वारा जारी फार्म हाउस पट्टा विलेख में दर्शित 40 फीट सड़क को पूर्व में खातेदारों द्वारा प्रस्तुत सहमति पत्र के कम में योजना की 60 फीट सड़क से लिंक किया जावे, तथा आवेदित भूमि एवम् उक्त 40 फीट सड़क के मध्य मौके पर निर्मित दिवार को हटाये जाने की सुनिश्चितता जोन-उपायुक्त द्वारा की जावे। 3. मुख्यमंत्री जन आवास योजना-2015 के प्रावधानानुसार 2 है0 से कम की योजना में नियमानुसार विक्रय योग्य क्षेत्रफल के 10 प्रतिशत क्षेत्रफल के समतुल्य राशि ली जावे। 4. नियमानुसार आन्तरिक विकास कार्यों की एवज में विक्रय योग्य क्षेत्रफल के 12.5 प्रतिशत क्षेत्रफल के बराबर भूखण्ड रहन में रखे जाने हैं जिनको आन्तरिक विकास कार्य पूर्ण होने की सुनिश्चितता के उपरान्त रहन मुक्त किया जावेगा। 5. उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व प्रशासनिक, वाद अवाप्ति, एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वयं की होगी। प्रार्थी से इस बाबत शपथ-पत्र लिया जावे कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नहीं है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लम्बित है। इस बाबत जोन स्तर पर शपथ-पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावे। 6. प्रस्तावित भूमि पर निर्माण कार्य करवाने से पूर्व जोविप्रा जोधपुर से भवन मानचित्र अनुमोदित करवाने होंगे।

एजेण्डा संख्या 08 :-

बैठक दिनांक	जोन	राजस्व ग्राम	खसरा संख्या	रकबा	प्रयोजन
20.12.2022	जोन-2	पेशावास	112/4	0.6677 है0 में से 0.5099 है0 (03.03.00 बीघा)	फार्म हाउस एकल भूखण्ड
आवेदक	श्री बाबुलाल पुत्र श्री गुणेशराम जी				
विषय:-	राजस्व ग्राम पेशावास के खसरा संख्या 112/4 रकबा 0.6677 है0 में से 0.5099 है0 (03.03.00 बीघा) में फार्म हाउस एकल भूखण्ड प्रयोजनार्थ अनुमोदन बाबत।				
निर्णय:-	समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद विचार-विमर्श प्रकरण में सड़क मार्गाधिकार एवं वृक्षारोपण पट्टी उपरान्त शेष भूमि पर सैटबेक पश्चात् पर्याप्त निर्माण योग्य क्षेत्र की उपलब्धता के संबंध में आवश्यक परीक्षण आयोजना शाखा स्तर पर कर प्रकरण को आगामी बैठक में रखे जाने का निर्णय लिया गया।				

एजेण्डा संख्या 09 :-

बैठक दिनांक	जोन	राजस्व ग्राम	खसरा संख्या	रकबा	प्रयोजन
20.12.2022	जोन-2	खेजडली कंला	369/5, 369/6	06.00.00 बीघा	फार्म हाउस एकल भूखण्ड
आवेदक	श्री बाबुलाल पुत्र श्री उदाराम, एवम् श्री दोलाराम पुत्र श्री हरदानराम				
विषय:-	राजस्व ग्राम खेजडली कंला के खसरा संख्या 369/5, 369/6 रकबा 06.00.00 बीघा में फार्म हाउस एकल भूखण्ड प्रयोजनार्थ अनुमोदन बाबत।				

—



निर्णय:-	समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद विचार-विमर्श आवेदक द्वारा आवेदित भूमि के समान खातेदार द्वारा प्रश्नगत खसरा नु के अलग-अलग भाग में विभाजित कर आवेदन करने के संबंध में जोन उपायुक्त से टिप्पणी प्राप्त कर प्रकरण को आगामी बैठक में रखे जाने का निर्णय लिया गया।
----------	--

एजेण्डा संख्या 10 :-

बैठक दिनांक	जोन	राजस्व ग्राम	खसरा संख्या	रकबा	प्रयोजन
20.12.2022	जोन-2	खेजडली कलां	369/7, 369/8	03.10.00 बीघा	फार्म हाउस एकल भूखण्ड
आवेदक	श्री बाबुलाल पुत्र श्री उदाराम, श्री रमेश पुत्र श्री हरदानराम				
विषय:-	राजस्व ग्राम खेजडली कलां के खसरा संख्या 369/7, 369/8 रकबा 03.10.00 बीघा में फार्म हाउस एकल भूखण्ड प्रयोजनार्थ अनुमोदन बाबत्।				
निर्णय:-	समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद विचार-विमर्श आवेदक द्वारा आवेदित भूमि के समान खातेदार द्वारा प्रश्नगत खसरा नु के अलग-अलग भाग में विभाजित कर आवेदन करने के संबंध में जोन उपायुक्त से टिप्पणी प्राप्त कर प्रकरण को आगामी बैठक में रखे जाने का निर्णय लिया गया।				

एजेण्डा संख्या 11 :-

बैठक दिनांक	जोन	राजस्व ग्राम	खसरा संख्या	रकबा	प्रयोजन
20.12.2022	जोन-2	खेजडली कलां	369/9, 369/11 व 369/12	05.18.00 बीघा	फार्म हाउस एकल भूखण्ड
आवेदक	श्री सुरजाराम पुत्र श्री चुतराराम, श्री कालूराम पुत्र श्री राणाराम, श्री दौलाराम पुत्र श्री हरदान राम				
विषय:-	राजस्व ग्राम खेजडली कला के खसरा संख्या 369/9, 369/11 व 369/12 रकबा 05.18.00 बीघा में फार्म हाउस एकल भूखण्ड प्रयोजनार्थ अनुमोदन बाबत्।				
निर्णय:-	<p>समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद विचार-विमर्श निम्नलिखित शर्तों के साथ ले-आउट प्लान अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया:-</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. आवेदित भूमि को उपलब्ध पहुंच मार्ग की चौड़ाई मास्टर डवलपमेंट प्लान अनुसार 60 मीटर आरक्षित रखी जावे तथा सडक मार्गाधिकार हेतु सडक मध्य से 30 मीटर भूमि प्रार्थी से निःशुल्क समर्पित करवाई जावे। सडक मार्गाधिकार पश्चात् 30 मीटर गहराई की वृक्षारोपण पट्टी हेतु भूमि आरक्षित रखी जावे।</li> <li>2. राज्य सरकार के आदेश दिनांक 13.03.2018 के अनुसार फार्म हाउस का एकल पट्टा जारी करते समय यह शर्त अंकित की जावे कि भविष्य में यदि सेक्टर रोड निकलती है व फार्म हाउस की भूमि प्रभावित होती है, तो यह प्रभावित भूमि संबंधित नगरीय निकाय को निःशुल्क उपलब्ध करानी होगी। भविष्य में यदि अन्य उपयोग के लिए रूपान्तरण किया जाता है तो उस उपयोग हेतु तय मानदण्ड लागू होंगे।</li> <li>3. उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व प्रशासनिक, वाद अवाप्ति, एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वयं की होगी। प्रार्थी से इस बाबत् शपथ-पत्र लिया जावे कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नहीं है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लम्बित है। इस बाबत् जोन स्तर पर शपथ-पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावे।</li> <li>4. प्रस्तावित भूमि पर निर्माण कार्य करवाने से पूर्व प्रचलित भवन विनियम के अनुसार भवन मानचित्र अनुमोदित करवाने होंगे।</li> </ol>				

—nd



एजेण्डा संख्या 12 :-

बैठक दिनांक	जोन	राजस्व ग्राम	खसरा संख्या	रकबा	प्रयोजन
20.12.2022	जोन-2	खेजडली कलां	369/4, 369/5	06.01.00 बीघा	फार्म हाउस एकल भूखण्ड
आवेदक	श्री बाबुलाल पुत्र श्री उदाराम				
विषय:-	राजस्व ग्राम खेजडली कलां के खसरा संख्या 369/4, 369/5 रकबा 06.01.00 बीघा में फार्म हाउस एकल भूखण्ड प्रयोजनार्थ अनुमोदन बाबत।				
निर्णय:-	समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद विचार-विमर्श आवेदक द्वारा आवेदित भूमि के समान खातेदार द्वारा प्रश्नगत खसरान् के अलग-अलग भाग में विभाजित कर आवेदन करने के संबंध में जोन उपायुक्त से टिप्पणी प्राप्त कर प्रकरण को आगामी बैठक में रखे जाने का निर्णय लिया गया।				

एजेण्डा संख्या 13 :-

बैठक दिनांक	जोन	राजस्व ग्राम	खसरा संख्या	रकबा	प्रयोजन
20.12.2022	जोन-2	कुडी भगतासनी	316, 317, 319/1, 332	01.00.00 बीघा	आवासीय एकल भूखण्ड
आवेदक	श्री प्रवीण खत्री पुत्र डॉ एम.एल खत्री				
विषय:-	राजस्व ग्राम कुडी भगतासनी के खसरा संख्या 316, 317, 319/1, 332 रकबा 01.00.00 बीघा में आवासीय एकल भूखण्ड प्रयोजनार्थ अनुमोदन बाबत।				
निर्णय:-	समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद विचार-विमर्श प्रकरण में आवेदित भूमि का मास्टर डवलपमेंट प्लान अनुसार भू-उपयोग आवासीय एवं औद्योगिक प्रयोजनार्थ आरक्षित होने के कारण प्रस्तावित एकल आवासीय प्रयोजन की अनुज्ञेयता के संबंध में राज्य सरकार से मार्गदर्शन प्राप्त कर प्रकरण को आगामी बैठक में रखे जाने का निर्णय लिया गया।				

एजेण्डा संख्या 14 :-

बैठक दिनांक	जोन	राजस्व ग्राम	खसरा संख्या	रकबा	प्रयोजन
20.12.2022	जोन-2	बासनी बाघेला	70/6	02.07.00 बीघा में से 02.01.00 बीघा	होटल एकल भूखण्ड
आवेदक	श्री ऋषभ शर्मा पुत्र श्री रमेशचन्द शर्मा बहैसियत आममुख्यार पप्पूलाल मीणा पुत्र श्री रामराज मीणा				
विषय:-	राजस्व ग्राम बासनी बाघेला के खसरा संख्या 70/6 रकबा 02.07.00 बीघा में से 02.01.00 बीघा में होटल एकल भूखण्ड प्रयोजनार्थ अनुमोदन बाबत।				
निर्णय:-	समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद विचार-विमर्श निम्नलिखित शर्तों के साथ ले-आउट प्लान अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया:- <ol style="list-style-type: none"> <li>1. आवेदित भूमि को उपलब्ध पहुंच मार्ग की चौड़ाई पूर्व कमिटेन्ट के अनुसार 120 फीट रखे जाने हेतु सड़क मध्य से 60 फीट भूमि प्रार्थी से निःशुल्क समर्पित करवाई जावें।</li> <li>2. आवेदित भूमि के दक्षिण दिशा में स्थित सड़क का मार्गाधिकार 60 फीट रखे जाने हेतु सड़क मध्य से 30 फीट भूमि प्रार्थी से निःशुल्क समर्पित करवाई जावें।</li> <li>3.</li> <li>4. राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 30.05.2016 व 22.11.2016 अनुसार 2 है0 से कम क्षेत्रफल पर नियमानुसार राशि ली जावें।</li> </ol>				





5. उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व प्रशासनिक, वाद अवाप्ति, एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वयं की होगी।
4. प्रार्थी से इस बाबत् शपथ-पत्र लिया जावे कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नहीं है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लम्बित है। इस बाबत् जोन स्तर पर शपथ-पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावे।
5. प्रस्तावित भूमि पर निर्माण कार्य करवाने से पूर्व प्रचलित भवन विनियम अनुसार जोधपुर विकास प्राधिकरण से भवन मानचित्र अनुमोदित करवाने होंगे।

एजेण्डा संख्या 15 :-

विषय :- विवेक विहार योजना के सेक्टर-सी में ओ.सी.एफ. प्रयोजनार्थ भूमि के अन्तिम उपयोग निर्धारण के संबंध में।

निर्णय :- समिति द्वारा बाद विचार-विमर्श मास्टर डवलपमेन्ट प्लान-2031 में ओ.सी.एफ. में उल्लेखित गतिविधियों के अनुरूप विवेक विहार योजना के सेक्टर-सी के मानचित्र में जोन प्रस्ताव अनुसार राजकीय कार्यालय व पुलिस स्टेशन प्रयोजनार्थ आरक्षित ब्लॉक के उत्तर दिशा में स्थित ओ.सी.एफ. प्रयोजनार्थ ब्लॉक के अन्तिम उपयोग हेतु जोन से प्राप्त प्रस्ताव व मानचित्र अनुसार राजकीय कार्यालय व पुलिस स्टेशन प्रयोजनार्थ योजना के पार्ट योजना प्लान का अनुमोदन किये जाने का निर्णय लिया गया।

एजेण्डा संख्या 16 :-

विषय :- विवेक विहार व्यवसायिक योजना/ब्लॉक में अतिक्रमित भूखण्डों को शिफ्ट करने के संबंध में।

निर्णय :- समिति द्वारा बाद विचार-विमर्श जोन उपायुक्त को विवेक विहार व्यवसायिक योजना/ब्लॉक में अतिक्रमित समस्त भूखण्डों की साईज व संख्या मय उल्लेख करते हुए प्रस्ताव भिजवाने हेतु निर्देशित किया गया।

एजेण्डा संख्या 17 :-

बैठक दिनांक	जोन	राजस्व ग्राम	खसरा संख्या	रकबा	प्रयोजन
20.12.2022	जोन-2	भाकरासनी	105	04.06.00 बीघा	आवासीय एकल भूखण्ड
आवेदक	श्रीमती नाथीदेवी पत्नी श्री बाबुलाल मीना				
विषय:-	राजस्व ग्राम भाकरासनी के खसरा संख्या 105 रकबा 04.06.00 बीघा में आवासीय एकल भूखण्ड प्रयोजनार्थ अनुमोदन बाबत्।				
निर्णय:-	<p>समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद विचार-विमर्श निम्नलिखित शर्तों के साथ ले-आउट प्लान अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया:-</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. आवेदित भूमि को उपलब्ध पहुंच मार्ग की चौड़ाई जोनल डवलपमेन्ट प्लान अनुसार 24 मीटर रखी जावे। सड़क मार्गाधिकार हेतु आवश्यक भूमि प्रार्थी की भूमि में से निःशुल्क समर्पित करवायी जावे।</li> <li>2. आवेदित भूमि में से गुजर रही जोनल डवलपमेन्ट प्लान की 18 मीटर सड़क दर्शायी जावे।</li> <li>3. आवेदित भूमि में से एच.टी.लाईन गुजर रही है, जिसकी क्षमता एवं स्थिति की रिपोर्ट जोन से प्राप्त कर नियमानुसार सेफ्टी कॉरिडोर का प्रावधान किया जावे।</li> <li>4. राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 30.05.2016 व 22.11.2016 अनुसार 2 है0 से कम क्षेत्रफल पर नियमानुसार राशि ली जावे।</li> <li>5. उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व प्रशासनिक, वाद अवाप्ति, एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वयं की होगी।</li> <li>6. प्रार्थी से इस बाबत् शपथ-पत्र लिया जावे कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नहीं है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लम्बित है। इस बाबत् जोन स्तर पर शपथ-पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावे।</li> </ol>				





7. प्रस्तावित भूमि पर निर्माण कार्य करवाने से पूर्व प्रचलित भवन विनियम अनुसार जोधपुर विकास प्राधिकरण से भवन मानचित्र अनुमोदित करवाने होंगे।

आयुक्त महोदय द्वारा धन्यवाद के साथ बैठक सम्पन्न हुई। उक्त कार्यवाही विवरण सक्षम स्तर से अनुमोदित है।


उप नगर नियोजक (द्वितीय)

एवं सदस्य सचिव

भवन मानचित्र अनुमोदन समिति (एल.पी.)  
जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर

क्रमांक: F37(3)/नि.आ./बीपीसी(एल.पी.)/का.वि./2022/ 5102-5106 दिनांक:- 20/12/2022  
प्रतिलिपी :- निम्न को अवलोकनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

01. निजी सचिव, आयुक्त महोदय, जो.वि.प्रा., जोधपुर को सूचनार्थ।
02. निजी सचिव, सचिव महोदय, जो.वि.प्रा., जोधपुर को सूचनार्थ।
03. निदेशक (अभियांत्रिकी/आयोजना), जो.वि.प्रा., जोधपुर को सूचनार्थ।
04. उपायुक्त (जोन-2), जो.वि.प्रा., जोधपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
05. एसीपी/एनआईसी शाखा को भेजकर लेख है कि इसे जो.वि.प्रा. की वेबसाइट पर अपलोड करने का श्रम करें।

  
20/12/2022


उप नगर नियोजक (द्वितीय)  
एवं सदस्य सचिव

भवन मानचित्र अनुमोदन समिति (एल.पी.)  
जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर

**परिशिष्ट-“1”**

भवन मानचित्र समिति (ले-आउट प्लान) की 01/2022 वीं बैठक दिनांक 06.12.2022 को आयुक्त महोदय, जोविप्रा, जोधपुर की अध्यक्षता में उनके कक्ष में आयोजित हुई, बैठक में उपस्थिति निम्नवत थी:-

- |  |            |
|--|------------|
| 1. श्री नवनीत कुमार, आयुक्त, जो.वि.प्रा., जोधपुर।                | अध्यक्ष    |
| 2. श्री जय नारायण मीणा, सचिव, जो.वि.प्रा. जोधपुर।                | सदस्य      |
| 3. श्री सुभाष चन्द्र शर्मा, निदेशक (आयोजना), जो.वि.प्रा. जोधपुर। | सदस्य      |
| 4. श्री राकेश परिहार, निदेशक (अभियांत्रिकी), जो.वि.प्रा. जोधपुर। | सदस्य      |
| 5. श्री मनोज सोलंकी, उपायुक्त (जोन-2) जो.वि.प्रा. जोधपुर         | सदस्य      |
| 6. श्री गणपत लाल सुथार, उप नगर नियोजक, जो.वि.प्रा. जोधपुर।       | सदस्य सचिव |

  
20/12/2022

उप नगर नियोजक (द्वितीय)  
एवं सदस्य सचिव

भवन मानचित्र अनुमोदन समिति (एल.पी.)  
जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर



